

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)****(BRAHMAPUTRA BOARD)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 19th January, 2024

G.S.R. 8.—Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Regulation, 2023 published vide Notification G.S.R No. 115 dated 30.08.2023, in Column 7 under 'Education and other qualifications required for direct recruits' of the SCHEDULE, the words

“30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi”

be read as

“35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi”

[F. No. A-12034/5/2023 -E-III]

RAJU, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय**(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)**

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 9.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** — (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2024 कहा जा सकता है।
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले, उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- अयोग्यता** - कोई व्यक्ति -
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका जीवनसाथी जीवित है, या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए भी किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

- शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

6. **बचत** - इन नियमों की कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक.	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय (मंत्रालयी)	स्तर -6 (रु. 35400-112400)	चयन पद	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)।	<p>पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100 रुपये) में उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा की हो और स्थापना, प्रशासन या रोकड़ और खातों के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल, जो भी कम हो, और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिरीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, साथ ही उनके कनिष्ठों ने ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, जो अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य-क्षेत्र, स्वायत्त या वैधानिक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; या</p>

	<p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -5 (29200-92300 रुपये) या समकक्ष स्तर के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में छह साल की सेवा; या</p> <p>(iii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -4 (25500-81100 रुपये) या समकक्ष स्तर के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में दस साल की सेवा के साथ; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री, और</p> <p>(ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा मामलों में दो साल का अनुभव।</p> <p>नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो सीधी पंक्ति या पदोन्नति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे और इसी तरह, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>नोट 2: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत बाद धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में परामर्श लिया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <p>(i) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(ii). निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - सदस्य; और</p> <p>(iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</p> <p>(i) निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>(ii). उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - सदस्य; और</p> <p>(iii) अवर सचिव (स्थापना), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 20025/32/2021-एनसीएसटी]

अरविंद मुद्गल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
(National Commission For Scheduled Tribes)

New Delhi, the 25th January, 2024

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

- 1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, office Superintendent (Group 'B') Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Post, Classification, and level in pay matrix** - The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification** — No person, -
(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 6. Saving** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Pay Level in the pay matrix.	Whether Selection or Non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Office Superintendent.	4* (2024) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted) Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short term contract).	<p>Promotion : Upper Division Clerks in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and having successfully completed four weeks of training in the fields of establishment, administration or cash and accounts.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors have already completed such qualifying or eligibility service .</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Governments ,Union territories , autonomous or statutory organisation, public sector undertakings, Universities or recognised research institutions,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level-5(Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience :</p> <p>(i) Bachelor Degree from a recognised university or institute ,and</p> <p>(ii) having two years experience in administration or establishment or accounts matters.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line or promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(i) Joint Secretary, National Commission for Scheduled Tribes - Chairman;</p> <p>(ii). Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes - Member; and</p> <p>(iii) Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs - Member.</p> <p>Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :-</p> <p>(i) Director (Administration), National Commission for Scheduled Tribes - Chairman.;</p> <p>(ii). Deputy Director , National Commission for Scheduled Tribes - Member; and</p> <p>(iii) Under Secretary (Establishment), National Commission for Scheduled Tribes - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 20025/32/2021-NCST]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.